

राजस्थान सरकार

राज्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं राज्य सहायक राजस्व अधिकारी मुंबई

(पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत/केस कोर्ट) केस मुंबई

आदेश :-

पक्षों के "सात दूरियों" संबंधित एवं संबंधी राज्य सहायक राजस्व अधिकारी न.पू.अ.वि. राजस्थान

को रिपोर्ट तथा सहस्रीकरण मुंबई / नमन सहस्रीकरण को आपुर्ना के आधार

पर राजस्व व. राजस्व अधिनियम 1954 को धारा 134 के अनुसार में राज्य सहायक राजस्व अधिकारी मुंबई न

जिन मुंबई को भयानकरी समक 2026-27 में सात संख्या 44 में कार्यवाही में

एवं प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुदृढीकरण जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिने पाते हैं :-

क्र. सं.	नाम	सात संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (असुद प्रविष्टि)	आदेश (सुद प्रविष्टि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मरो नकाब	44	राजस्थानी युग जीटा	राजस्थानी युग जीदाराम

प्रधानी अधिकारी जिनका
पीठाधीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
राज्य सहा. कलकत्ता

दिनांक :- 7/6/22

संख्या - 101

प्रतिपालन :-

1. सहस्रीकरण मुंबई को भयानकरी लेख मुंबई कि अदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर
पालना विषय भिजकस्टे।

2. प्रार्थी को सूचनायें :-

3. रिशत चक्रवर्ती :-

प्रधानी अधिकारी जिनका
पीठाधीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं राज्य सहा. कलकत्ता